बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक-2/सी.एम.टी.-62/2012 परि0 5087.

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक-09/10/2013

विषय : एकमुश्त कर (One Time Tax) प्रणाली से आच्छादित वाहनों से कर वसूली के संबंध में दिशा निर्देश ।

महाशय,

आप अवगत है कि तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर-ट्रेलर एवं मालवाहक (तीन टन के लदान क्षमता) एकमुश्त कर प्रणाली से अच्छादित हैं । तिपहिया एवं ट्रैक्टर-ट्रेलरों पर वर्ष 2010 से एवं मालवाहकों पर वर्ष 2011 से एकमुश्त कर अधिरोपित हैं । इन वाहनों को ''एक मुश्त कर'' प्रणाली में लाने के संबंध में अधिसूचित अधिसूचना में प्रक्रिया भी विहित है ।

2. ऐसा पाया गया है कि उपरोक्त वर्णित वाहनों के स्वामी जब एकमुश्त कर का भुगतान करने परिवहन कार्यालयों में जाते है तो विलंब हेतु 10 वर्षो या 15 वर्षो के टैक्स पर भी 200% विलंब शुल्क अधिरोपित करते हुए कर की राशि प्राप्त की जाती है । आप अवगत है कि अग्रिम टैक्स पर विलंब दंड लेने का काई प्रावधान अधिनियम/नियमावली में प्रावधानित नहीं है। बिहार मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 1994 के नियम-4 में बकाया करों पर विलंब दंड लेने का प्रावधान है ।

3. उल्लेखनीय है कि बिहार वित्त अधिनियम, 2010 के माध्यम से बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में किये गये संशोधन से संबंधित भ्रांतियों के संबंध में विभागीय पत्रांक-5276 दिनांक-08.10.2010 द्वारा दिशा निर्देश आपको दिए जा चुके है । पुनः उदाहरण स्वरूप स्थिति स्पष्ट की जा रही है :-

उदाहरण -- (i) यदि कोई मालवाहक जिसकी निबंधित लदान क्षमता 2820 Kg है । निबधन की तिथि 24.09.2010 एवं कर भुगतान के समाप्ति तिथि 23.03.2011 है । उक्त अवधि में 1072.00 रूपया वाहन स्वामी द्वारा जमा किया गया है । उस स्थिति में प्राप्त होने वाले कर की गणना निम्नवत की जानी है :-

कर गणना **(मालवाहक दिनांक-01.04.2011 से एकमुश्त कर प्रणाली से आच्छादित है ।)**

एकमुश्त कर की राशि (2820 Kg)	=	5500 x 3
	=	16500 रू0 (10 वर्षो के लिए)
पूर्व में भुगतान की गयी राशि	=	रू0 1072
प्राप्त की जाने वाली राशि	=	16500 - 1072
	=	15428 रू0

उक्त राशि प्राप्त कर 10 वर्ष के लिए टैक्स टोकन निर्गत किया जाएगा ।

(ii) यदि वाहन स्वामी उपरोक्त परिस्थिति में 2 वर्ष के बाद एकमुश्त प्रणाली की परिधि में आते हैं तो इस स्थिति में कर की गणना निम्नवत् की जाएगी ।

मालवाहक पर 10 वर्षो के लिए कुल टैक्स राशि 15428.00

1 वर्ष का टैक्स $\frac{15428.00}{10}$ = 1542.80 रू0

2 वर्ष का टैक्स	= 1542.80 x 2
	= रू0 3085.60 - (बकाया)
8 वर्ष का टैक्स	= 1542.80 x 8
	= 12342.40
बकाया टैक्स (2 वर्ष का)	= रू0 3086.00
बकाया टैक्स पर अर्थ दंड (200%)	= रू0 3086.00 x 2
कुल	= 6172.00 रू0
बकाया टैक्स (विलंब दंड के साथ)	= 3086.00 + 6172
	= रू0 9258
कुल देय कर	= 12342 + 9258
	= 21700 रू0

यानि दो वर्ष के पश्चात कुल देय कर रू0 21700 होता है ।

उपरोक्त राशि प्राप्त कर 10 वर्ष के लिए टैक्स टोकन निर्गत किया जाएगा ।

उपरोक्त के आलोक में कर की गणना कर उक्त वाहनों से एकमुश्त कर प्राप्त किया जाए ।

विश्वासभाजन,

4/10/13

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग ।

Scopy